न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 53/2020

पूरणमल गुर्जर पुत्र श्री रामनारायण गुर्जर निवासी पलाई तह. उनियारा जिला टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 31-12-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला-टोंक को दिनांक 7-8-2020 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1.आबादी भूमि के पट्टे वितरण करने सम्बन्धी रजिस्टर में इन्द्राज कम संख्या 169 तथा कम संख्या 170 में दर्ज आवटी पूरणमल एवं रामनारायण को आवंटित की गई भूमि पट्टा शुदा दिनांक 06.1.1975 के आवंटन की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ने उनके पत्र कमांक 1206 दिनाक 21-12-2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में पत्र कमांक 140/राजस्व/ दिनांक 2.9.2020 से आवेदक को वांछित सूचना के सम्बन्ध में जवाब प्रेषित किया जा चुका है। जवाब की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में जवाब दिया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:08:40 IST
Reason: SelfAttested

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner